



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 25, 2019/श्रावण 3, 1941
No. 265] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 25, 2019/SHRAVANA 3, 1941

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2019

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2019

सं.आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.047.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 2 के उप-विनियम (1) में -

(i) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘(खक) “परामर्श समिति” से विनियम 31क के अधीन गठित हितधारक परामर्श समिति अभिप्रेत है;’

(ii) उपखंड (डक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(डक) धारा 5 की उपधारा (16) के अधीन “समापन लागत” से अभिप्रेत है -

(i) विनियम 4 के अधीन परिसमापक को संदेय फीस;

(ii) परिसमापक द्वारा विनियम 7 के उप-विनियम (1) के अधीन संदेय पारिश्रमिक;

- (iii) परिसमापक द्वारा विनियम 24 के उप-विनियम (2) के अधीन उपगत लागत;
- (iv) कारपोरेट ऋणी की आस्तियों और संपत्तियों, चीज़बस्त और वादयोग्य दावे के, जिसके अंतर्गत प्रतिभूत आस्तियां भी हैं, परिरक्षण और संरक्षण पर उपगत लागत;
- (v) परिसमापक द्वारा कारपोरेट ऋणी के कारबार को एक चालू समुत्थान के रूप में चलाने में उपगत लागत;
- (vi) अंतरिम वित्तपोषण पर बारह मास की अवधि के लिए या समापन प्रारंभ होने की तारीख से अंतरिम वित्तपोषण का प्रतिदाय किए जाने तक की अवधि के लिए, इनमें से जो भी निम्नतर हो, ब्याज;
- (vii) विनियम 2क के उप-विनियम (3) के अधीन अंशदाताओं को प्रतिदेय रकम;
- (viii) परिसमापक द्वारा उपगत ऐसी कोई अन्य लागत, जो समापन प्रक्रिया पूरी करने के लिए आवश्यक है:

परन्तु परिसमापक द्वारा, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 230 के अधीन समझौते या ठहराव, यदि कोई है, के संबंध में उपगत कोई लागत, यदि कोई है, समापन लागत का भाग गठित नहीं करेगी।”

3. मूल विनियमों में, विनियम 2 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“2क. समापन लागत में अंशदान

(1) जहां लेनदारों की समिति, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 39ख के उप-विनियम (3) के अधीन किसी योजना का अनुमोदन नहीं करती है वहां परिसमापक, संस्थागत वित्तीय लेनदारों से, वित्तीय संस्थाएं होने के कारण यह अपेक्षा करेगा कि वे उसके द्वारा यथा-प्राक्कलित कारपोरेट ऋणी की नकद आस्तियों के मुकाबले समापक लागत के आधिक्य का कारपोरेट ऋणी द्वारा उन्हें देय वित्तीय ऋणों के अनुपात में अंशदान करें।

दृष्टांत

मान लीजिए, परिसमापक द्वारा यथा-प्राक्कलित नकद आस्तियों के मुकाबले समापन लागत का आधिक्य 10 रुपए है। वित्तीय लेनदारों से निम्न प्रकार अंशदान करने की अपेक्षा की जाएगी:

क्रम सं.	वित्तीय लेनदार	वित्तीय लेनदारों को देय ऋण की रकम(रुपयों में)	समापन लागत मद्धे अंशदान की जाने वाली रकम(रुपयों में)
1	वित्तीय संस्था क	40	04
2	वित्तीय संस्था ख	60	06
3	गैर- वित्तीय संस्था क	50	00
4	गैर- वित्तीय संस्था ख	50	00
	योग	200	10

(2) यथास्थिति, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 39ख के उप-विनियम (3) के अधीन योजना में अनुमोदित अंशदान या उप-विनियम (1) के अधीन अनुमोदित अंशदान, किसी अनुसूचित बैंक में खोले और रखे जाने वाले किसी अभिहित एस्करो खाते में समापन आदेश पारित करने के सात दिन के भीतर जमा कराया जाएगा।

(3) उप-विनियम (2) के अधीन अंशदान की गई रकम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 49 में निर्दिष्ट बैंक दर पर ब्याज सहित समापन लागत के भागस्वरूप प्रतिदेय होगी।

2ख. समझौता या ठहराव

(1) जहां कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 230 के अधीन किसी समझौते या ठहराव का प्रस्ताव किया जाता है वहां उसे धारा 33 की उपधारा (1) और उपधारा (4) के अधीन समापन आदेश के नब्बे दिन के भीतर पूरा किया जाएगा।

(2) समझौते या ठहराव पर लिया गया नब्बे दिन से अतिरिक्त समय समापन अवधि में नहीं जोड़ा जाएगा।

(3) परिसमापक द्वारा समझौते या ठहराव के संबंध में उपगत कोई लागत कारपोरेट ऋणी द्वारा वहन की जाएगी, जहां ऐसे समझौते या ठहराव को धारा 230 की उपधारा (6) के अधीन अधिकरण द्वारा मंजूरी दी जाती है:

परन्तु ऐसी लागत उन पक्षकारों द्वारा वहन की जाएगी जिन्होंने समझौते या व्यवस्था का प्रस्ताव किया था, जहां ऐसे समझौते या ठहराव को धारा 230 की उपधारा (6) के अधीन अधिकरण द्वारा मंजूरी नहीं दी जाती है।”।

4. मूल विनियमों में, विनियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

***4. परिसमापक की फीस**

(1) परिसमापक को संदेय फीस भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 39घ के अधीन लेनदारों की समिति द्वारा लिए गए विनिश्चय के अनुसार होगी।

(2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत आने वाले मामलों से भिन्न मामलों में, परिसमापक -

(क) उसी दर पर, जिस पर समाधान व्यावसायिक, कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 230 के अधीन समझौते या ठहराव की अवधि के लिए हकदार था; और

(ख) समापन की शेष अवधि के लिए अन्य समापन लागत को घटाने के पश्चात् वसूल की गई शुद्ध रकम और वितरित रकम के प्रतिशत के रूप में, निम्न प्रकार फीस का हकदार होगा:

वसूल/वितरित की गई रकम (रुपयों में)	वसूल/वितरित की गई रकम पर फीस की प्रतिशतता		
	प्रथम छह मास में	अगले छह मास में	उसके पश्चात्
वसूली की रकम (समापन लागत घटाकर)			
प्रथम 1 करोड़ पर	5.00	3.75	1.88
अगले 9 करोड़ पर	3.75	2.80	1.41
अगले 40 करोड़ पर	2.50	1.88	0.94
अगले 50 करोड़ पर	1.25	0.94	0.51
वसूल की गई अतिरिक्त धनराशियों पर	0.25	0.19	0.10
हितधारकों को वितरित की गई रकम			
प्रथम एक करोड़ पर	2.50	1.88	0.94
अगले 9 करोड़ पर	1.88	1.40	0.71
अगले 40 करोड़ पर	1.25	0.94	0.47
अगले 50 करोड़ पर	0.63	0.48	0.25
वसूल की गई अतिरिक्त धनराशियों पर	0.13	0.10	0.05

(3) जहां फीस उप-विनियम (2) के खंड (ख) के अधीन संदेय है, वहां परिसमापक वसूल की गई रकम वितरित किए जाने के पश्चात् ही ऐसी वसूली पर संदेय आधी फीस प्राप्त करने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण: इन विनियमों का विनियम 4, जैसा कि वह भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2019 के प्रारंभ से पूर्व विद्यमान था, उन समापन प्रक्रियायों के संबंध में लागू बना रहेगा जो उक्त संशोधन विनियमों के प्रवर्तन में आने से पूर्व आरंभ की गई हैं।”।

5. मूल विनियमों के विनियम 12 में, उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(2) सार्वजनिक उद्घोषणा में –

(क) हितधारकों से समापन प्रारंभ होने की तारीख को अपने दावे प्रस्तुत करने या कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किए गए अपने दावों को अद्यतन करने की अपेक्षा की जाएगी; और

(ख) दावों को प्रस्तुत या अद्यतन करने की अंतिम तारीख दी जाएगी, जो समापन प्रारंभ होने की तारीख से तीस दिन तक होगी।”।

6. मूल विनियमों के विनियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“16. दावा प्रस्तुत करना

(1) ऐसा व्यक्ति, जो हितधारक होने का दावा करता है, सार्वजनिक उद्घोषणा में उल्लिखित अंतिम तारीख को या उससे पूर्व अपना दावा प्रस्तुत करेगा या कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किए गए अपने दावे को अद्यतन करेगा, जिसके अंतर्गत ब्याज, यदि कोई है, भी शामिल है।

(2) कोई व्यक्ति, समापन प्रारंभ होने की तारीख को अपने ऋण या देयों के लिए, जिसके अंतर्गत ब्याज, यदि कोई है, भी है, अपना दावा साबित करेगा।”।

7. मूल विनियमों में, विनियम 21 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“21क. प्रतिभूति हित की उपधारणा

(1) प्रतिभूत लेनदार परिसमापक को समापन संपदा में, यथास्थिति, अपने प्रतिभूति हित का त्याग करने या अपने प्रतिभूति हित को वसूल करने संबंधी अपना विनिश्चय अनुसूची II के प्ररूप ग या प्ररूप घ में सूचित करेगा:

परन्तु जहां कोई प्रतिभूत लेनदार, समापन प्रारंभ होने की तारीख से तीस दिन के भीतर अपना विनिश्चय सूचित नहीं करता है वहां प्रतिभूति हित के अंतर्गत आने वाली आस्तियों के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वे समापन संपदा का भाग हैं।

(2) जहां कोई प्रतिभूत लेनदार अपने प्रतिभूति हित की वसूली की कार्यवाही करता है वहां वह धारा 53 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) के उपखंड (i) के अधीन संदेय रकम के मद्धे उतनी रकम का संदाय करेगा जितनी वह तब करता यदि उसने प्रतिभूति हित का त्याग कर दिया होता।”।

8. मूल विनियमों में, विनियम 31 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“31क हितधारक परामर्श समिति

(1) परिसमापक, समापन प्रारंभ होने से साठ दिन के भीतर, विनियम 32 के अधीन विक्रय से संबंधित विषयों में उसे सलाह देने के लिए, विनियम 31 के अधीन तैयार की गई हितधारकों की सूची पर आधारित एक परामर्श समिति का गठन करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन परामर्श समिति की संरचना वैसी होगी, जैसी नीचे सारणी में दर्शित की गई है:

सारणी

हितधारकों का वर्ग	वर्णन	प्रतिनिधियों की संख्या
(1)	(2)	(3)
ऐसे प्रतिभूत वित्तीय लेनदार, जिन्होंने धारा 52 के अधीन अपने प्रतिभूति हितों का त्याग किया है	जहां समापन प्रक्रिया के दौरान स्वीकार किए गए ऐसे लेनदारों के दावे समापन मूल्य के 50% से कम हैं	अधिकतम 2 के अधीन रहते हुए, श्रेणी में लेनदारों की संख्या
	जहां समापन प्रक्रिया के दौरान स्वीकार किए गए ऐसे लेनदारों के दावे कम से कम समापन मूल्य के 50% तक हैं	अधिकतम 4 के अधीन रहते हुए, श्रेणी में लेनदारों की संख्या
अप्रतिभूत वित्तीय लेनदार	जहां समापन प्रक्रिया के दौरान स्वीकार किए गए ऐसे लेनदारों के दावे समापन मूल्य के 25% से कम हैं	अधिकतम 1 के अधीन रहते हुए, श्रेणी में लेनदारों की संख्या
	जहां समापन प्रक्रिया के दौरान स्वीकार किए गए ऐसे लेनदारों के दावे कम से कम समापन मूल्य के 25% तक हैं	अधिकतम 2 के अधीन रहते हुए, श्रेणी में लेनदारों की संख्या
कर्मकार और कर्मचारी	1	1
सरकार	1	1
कर्मकारों, कर्मचारियों और सरकार से भिन्न प्रक्रियागत लेनदार	जहां समापन प्रक्रिया के दौरान स्वीकार किए गए ऐसे लेनदारों के दावे समापन मूल्य के 25% से कम हैं	अधिकतम 1 के अधीन रहते हुए, श्रेणी में लेनदारों की संख्या
	जहां समापन प्रक्रिया के दौरान स्वीकार किए गए ऐसे लेनदारों के दावे कम से कम समापन मूल्य के 25% तक हैं	अधिकतम 2 के अधीन रहते हुए, श्रेणी में लेनदारों की संख्या
हितधारक या भागीदार, यदि कोई हो		1

(3) परिसमापक, प्रत्येक वर्ग के हितधारकों को परामर्श समिति में समाविष्ट करने के लिए अपने प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करने हेतु सुकर बनाएगा।

(4) यदि किसी वर्ग के हितधारक अपने प्रतिनिधियों को नामनिर्दिष्ट करने में असफल हो जाते हैं तो उस वर्ग में दावे की उच्चतर रकम वाले अपेक्षित हितधारकों को परामर्श समिति में शामिल कर लिया जाएगा।

(5) परामर्श समिति के प्रतिनिधियों को, संहिता और इन विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वे समस्त सुसंगत अभिलेख और जानकारी सुलभ होगी, जो उप-विनियम (1) के अधीन परिसमापक को सलाह देने के लिए अपेक्षित हो।

(6) परिसमापक, जब वह आवश्यक समझे, परामर्श समिति की बैठक बुलाएगा और जब परामर्श समिति के कम से कम इक्कावन प्रतिशत प्रतिनिधियों की ओर से अनुरोध प्राप्त होता है तब परामर्श समिति की बैठक बुलाएगा।

(7) परिसमापक परामर्श समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और बैठक में हुए विचार-विमर्श को अभिलिखित करेगा।

(8) परिसमापक, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 39ग के उप-विनियम (1) के अधीन लेनदारों की समिति की सिफारिश को परामर्श समिति के समक्ष उसकी जानकारी के लिए रखेगा।

(9) परामर्श समिति, परिसमापक को, परामर्श समिति के उपस्थित एवं मतदान करने वाले कम से कम छियासठ प्रतिशत प्रतिनिधियों के मत द्वारा सलाह देगी।

(10) परामर्श समिति की सलाह परिसमापक पर बाध्यकर नहीं होगी:

परन्तु जहां परिसमापक, परामर्श समिति द्वारा दी गई सलाह से अलग कोई विनिश्चय करता है तो वह उसके लिए कारणों को लिखित में लेखबद्ध करेगा।”।

9. मूल विनियमों में, विनियम 32 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“32क. चालू समुत्थान के रूप में विक्रय

(1) जहां लेनदारों की समिति ने विनियम 32 के खंड (ङ) या खंड (च) के अधीन विक्रय की सिफारिश की है या जहां परिसमापक की यह राय है कि विनियम 32 के खंड (ङ) या खंड (च) के अधीन विक्रय से कारपोरेट ऋणी को अधिकतम मूल्य प्राप्त होगा, वहां वह प्रथमतः उक्त खंडों के अधीन विक्रय करने का प्रयत्न करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन विक्रय के प्रयोजनार्थ, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 39ग के उप-विनियम (2) के अधीन लेनदारों की समिति द्वारा यथा-परिलक्षित कारपोरेट ऋणी की आस्तियों और दायित्वों के समूह का विक्रय एक चालू समुत्थान के रूप में किया जाएगा।

(3) जहां लेनदारों की समिति ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 39ग के उप-विनियम (2) के अधीन आस्तियों और दायित्वों को परिलक्षित नहीं किया है वहां परिसमापक, परामर्श समिति से परामर्श करके उन आस्तियों और दायित्वों को परिलक्षित और सामूहित करेगा जिनका विक्रय एक चालू समुत्थान के रूप में किया जाना है।

(4) यदि परिसमापक, समापन प्रारंभ होने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, विनियम 32 के खंड (ङ) या खंड (च) के अधीन कारपोरेट ऋणी या उसके कारबार का विक्रय करने में असमर्थ होता है तो वह कारपोरेट ऋणी की आस्तियों का विक्रय विनियम 32 के खंड (क) से खंड (घ) के अधीन विक्रय करने की कार्यवाही करेगा।”।

10. मूल विनियमों के विनियम 35 के उप-विनियम (2) में “उप-विनियम (1) के तहत शामिल नहीं होने वाले मामलों में परिसमापक समापन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से सात दिन के भीतर” के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“उप-विनियम (1) के अंतर्गत न आने वाले मामलों में या जहां परिसमापक की यह राय है कि परिस्थितियों के अधीन नए सिरे से मूल्यांकन आवश्यक है, वहां वह समापन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तारीख से सात दिन के भीतर”।

11. मूल विनियमों के विनियम 42 के उप-विनियम (2) में, “छह मास” शब्दों के स्थान पर “नब्बे दिन” शब्द रखे जाएंगे।

12. मूल विनियमों के विनियम 44 में, —

(i) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(1) परिसमापक, संहिता के भाग 2 के अध्याय 3 के अधीन संब्यवहारों के परिवर्जन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष किसी आवेदन या उसकी किसी कार्रवाई के लंबित रहते हुए भी, समापन प्रारंभ होने के तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर कारपोरेट ऋणी का समापन करेगा:

परन्तु जहां विनियम 32क के उप-विनियम (1) के अधीन विक्रय का प्रयत्न किया जाता है वहां समापन प्रक्रिया नब्बे दिन तक की अतिरिक्त अवधि ले सकेगी;”

(ii) उप-विनियम (2) में, “दो वर्षों” शब्दों के स्थान पर “एक वर्ष” शब्द रखे जाएंगे।

13. मूल विनियमों के विनियम 45 में, उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(3) परिसमापक, अंतिम रिपोर्ट और प्ररूप ज में अनुपालन प्रमाणपत्र के साथ—

(क) जहां कारपोरेट ऋणी का विक्रय एक चालू समुत्थान के रूप किया जाता है वहां कारपोरेट ऋणी की समापन प्रक्रिया बन्द करने; या

(ख) खंड (क) के अंतर्गत न आने वाले मामलों में, कारपोरेट ऋणी के विघटन, के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।”।

14. मूल विनियमों में, विनियम 46 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“47. समापन प्रक्रिया के लिए आदर्श समय-सीमा

निम्नलिखित सारणी, समापन प्रारंभ होने की तारीख से किसी कारपोरेट ऋणी की समापन प्रक्रिया की यह मानकर आदर्श समय-सीमा प्रस्तुत करती है कि इस प्रक्रिया में कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 230 के अधीन समझौता या ठहराव या विनियम 32क के अधीन विक्रय शामिल नहीं है:

समापन प्रक्रिया के लिए आदर्श समय-सीमा

क्रम सं.	धारा/विनियम	कार्य का वर्णन	मानक	अद्यतन समयसीमा (दिनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	धारा 33 और 34	समापन का प्रारंभ और परिसमापक की नियुक्ति	एल.सी.डी.	0=टी
2	धारा 33(1) (ख) (ii)/ विनियम 12 (1,2,3)	प्ररूप ख में सार्वजनिक उद्घोषणा	परिसमापक की नियुक्ति के 5 दिन के भीतर	टी+5
3	विनियम 35(2)	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक की नियुक्ति	एल.सी.डी. के 7 दिन के भीतर	टी+7
4	धारा 38(1) और (5), विनियम 17,18 और 21क	दावे प्रस्तुत करना; प्रतिभूति हित के त्याग पर विनिश्चय की सूचना	एल.सी.डी. के 30 दिन के भीतर	टी+30
5	धारा 38(5)	दावे की वापसी/उपांतरण	दावा प्रस्तुत करने के 14 दिन के भीतर	टी+44
6	विनियम 30	विनियम 12(2)(ख) के अधीन प्राप्त दावों का सत्यापन	दावों की प्राप्ति की अंतिम तारीख से 30 दिन के भीतर	टी+60
7	विनियम 31क	एस.सी.सी. का गठन	एल.सी.डी. के 60 दिन के भीतर	टी+60
8	धारा 40(2)	दावे स्वीकार/अस्वीकार करने के विनिश्चय के बारे में सूचना	दावा स्वीकार या अस्वीकार किए जाने के 7 दिन के भीतर	टी+67
9	विनियम 31(2)	हितधारकों की सूचना फाइल करना और सार्वजनिक उद्घोषणा करना	दावों की प्राप्ति की अंतिम तारीख से 45 दिन के भीतर	टी+75

10	धारा 42	परिसमापक के विनिश्चय के विरुद्ध लेनदार द्वारा अपील	ऐसे विनिश्चय की प्राप्ति से 14 दिन के भीतर	टी+81
11	विनियम 13	ए.ए. को प्रारंभिक रिपोर्ट	एल.सी.डी. के 75 दिन के भीतर	टी+75
12	विनियम 34	आस्ति ज्ञापन	एल.सी.डी. के 75 दिन के भीतर	टी+75
13	विनियम 15(1), (2),(3),(4) और (5) और 36	ए.ए. को प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करना; प्रत्येक प्रगति रिपोर्ट के साथ आस्ति विक्रय रिपोर्ट, यदि विक्रय किए जाते हैं, संलग्न की जाए	प्रथम प्रगति रिपोर्ट	क्यू1+15
			तिमाही-2	क्यू2+15
			तिमाही-3	क्यू3+15
			तिमाही-4	क्यू4+15
			वि.वर्ष: 1 वित्तीय वर्ष के लिए परिसमापक की प्राप्ति और संदायों के संपरीक्षित लेखे	15 अप्रैल
14	विनियम 15 (1) का परन्तुक	परिसमापक न रहने की दशा में प्रगति रिपोर्ट	परिसमापक न रहने के 15 दिन के भीतर	परिसमापक न रहने की तारीख +15
15	विनियम 37 (2,3)	प्रतिभूत लेनदारों को सूचना	प्रतिभूत लेनदारों से सूचना की प्राप्ति के 21 दिन के भीतर	सूचना की तारीख +21
16	विनियम 42 (2)	हितधारकों को आगमों का वितरण	रकम की प्राप्ति से 3 मास के भीतर	वसूली की तारीख+90
17	विनियम 10(1)	दुर्भर संपत्ति के दावात्याग के लिए ए.ए. को आवेदन	एल.सी.डी. से 6 मास के भीतर	टी+6 मास
18	विनियम 10(3)	दुर्भर संपत्ति या संविदा में हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना	दावात्याग के लिए ए.ए. को आवेदन करने से कम से कम 7 दिन पूर्व	
19	विनियम 44	कारपोरेट ऋणी का समापन	एक वर्ष के भीतर	टी+365
20	विनियम 46	समापन के अदावाकृत आगमों या अवितरित आस्तियों के संबंध में आदेश के लिए ए.ए. को आवेदन	विघटन आदेश से पूर्व	
21	अनुसूची 1, क्रम सं. 12	एच1 बोलीकर्ता को अतिशेष विक्रय प्रतिफल प्रदान करने के लिए समयावधि	अतिशेष रकम प्रदान करने के लिए आमंत्रण की तारीख से 90 दिन के भीतर	

[ए.ए.: न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, एल.सी.डी.: समापन प्रारंभ होने की तारीख, एस.सी. सी.: हितधारक परामर्श समिति]”।

15. मूल विनियमों की अनुसूची 1 में,-

(i) पैरा 1 में, खंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(4) आरक्षित कीमत, विनियम 35 के अनुसार निकाला गया आस्ति का मूल्य होगा।

(4क) जहां कोई नीलामी आरक्षित कीमत पर असफल हो जाती है वहां परिसमापक पश्चात्वर्ती नीलामी के संचालन करने के लिए आरक्षित कीमत को ऐसे मूल्य के पच्चीस प्रतिशत तक घटा सकेगा।

(ख) जहां कोई नीलामी खंड (क) के अधीन घटाई गई कीमत पर असफल हो जाती है वहां पश्चात्वर्ती नीलामियों में आरक्षित कीमत को एक बार में अधिकतम दस प्रतिशत तक और घटाया जा सकेगा।”;

(ii) पैरा 12 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्:-

(12) नीलामी के बन्द होने पर, उच्चतम बोलीकर्ता को अतिशेष विक्रय प्रतिफल, ऐसी मांग किए जाने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा :

परन्तु तीस दिन के पश्चात् किए गए संदायों पर 12% की दर पर ब्याज लगेगा:

परन्तु यह और कि यदि नब्बे दिन के भीतर संदाय प्राप्त नहीं होता है तो विक्रय रद्द कर दिया जाएगा।

(13) संपूर्ण रकम का संदाय कर दिए जाने पर विक्रय पूरा हो जाएगा, परिसमापक ऐसी आस्तियों के अंतरण के लिए विक्रय-प्रमाणपत्र या विक्रय विलेख निष्पादित करेगा और आस्तियां विक्रय के निबंधनों में विनिर्दिष्ट रीति में उसे परिदत्त कर दी जाएंगी।”।

16. मूल विनियमों की अनुसूची II में,-

(i) प्ररूप ख में, “[समापन प्रारंभ होने की तारीख के तीस दिन बाद आने वाली तारीख लिखें]” के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“[समापन प्रारंभ होने की तारीख से तीस दिन के भीतर आने वाली तारीख लिखें];”

(ii) प्ररूप ग की सारणी में, क्रम संख्यांक 8 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“8क.	क्या प्रतिभूति हित का त्याग किया गया	हां/नहीं”;
------	--------------------------------------	------------

(iii) प्ररूप घ में, सारणी में, क्रम संख्यांक 8 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“8क.	क्या प्रतिभूति हित का त्याग किया गया	हां/नहीं”;
------	--------------------------------------	------------

(iv) प्ररूप छ के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप ज

अनुपालन प्रमाणपत्र

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 45(3) के अधीन]

1. मैं, [परिसमापक का नाम] जो कि [दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का नाम] के पास नामांकित एक दिवाला व्यावसायिक हूं और रजिस्ट्रीकरण संख्यांक [रजिस्ट्रीकरण संख्यांक] के साथ बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत हूं, [कारपोरेट ऋणी का नाम] की समापन प्रक्रिया के लिए परिसमापक हूं।

2. समापन प्रक्रिया के ब्यौरे निम्नलिखित रूप में हैं:

क्रम सं. (1)	विशिष्टियां (2)	वर्णन (3)
1	कारपोरेट ऋणी का नाम	
2	मामला सं. और एन.सी.एल.टी. पीठ	
3	समापन आरंभ करने की तारीख	
4	परिसमापक की नियुक्ति करने की तारीख	
5.	सी.आई.आर.पी. के प्रारंभ की तारीख	
6	सी.आई.आर.पी. के दौरान आर. पी. का नाम और आई.पी. के रूप में उसका रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
7	परिसमापक का नाम और आई.पी. के रूप में उसका रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
8	प्ररूप ख के अधीन सार्वजनिक उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख	
9	समापन के प्रारंभ होने के बारे में रजिस्ट्री और इनफॉर्मेशन यूटिलिटी, यदि कोई है, को सूचना देने की तारीख	
10	आर.पी. द्वारा भार सौंपने की तारीख	
11	ए.ए. द्वारा समापन आदेश में निदिष्ट अनुपालन, यदि कोई है, प्रस्तुत करने की तारीख और उसकी विशिष्टियां	
12	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक, यदि कोई है, की नियुक्ति की तारीख	
13	अवांछित पूंजी/असंदत्त पूंजी अभिदाय के लिए सूचना की तारीख	
14	अवांछित पूंजी/असंदत्त पूंजी अभिदाय की वसूली की तारीख	
15	समापन खाता खोलने की तारीख, बैंक खाते के ब्यौरे सहित	
16	परामर्श समिति के गठन की तारीख	
17	परामर्श समिति की आयोजित की गई बैठकों की संख्या	
18	ए.ए. को हितधारकों की सूची प्रस्तुत करने की तारीख	
19	हितधारकों की सूची की सार्वजनिक उद्घोषणा की तारीख	
20	ए.ए. के समक्ष प्रारंभिक रिपोर्ट और आस्ति ज्ञापन फाइल करने की तारीख	
21	उचित मूल्य	
22	समापन मूल्य	
23	नीलामी के लिए सार्वजनिक उद्घोषणा की तारीख (कृपया अतिरिक्त पंक्तियां जोड़े, यदि आवश्यक हो)	
24	नीलामी की सार्वजनिक उद्घोषणा को अभिमुक्त करने संबंधी ए.ए. के आदेश की तारीख	
25	भौतिक नीलामी के लिए ए.ए. की अनुज्ञा की तारीख	
26	प्राइवेट विक्रय के लिए ए.ए. की अनुज्ञा की तारीख	
27	अविक्रीत आस्तियों का हितधारकों को वितरण करने के लिए ए.ए. की अनुज्ञा की तारीख	
28	प्रतिभूत लेनदारों द्वारा त्याग न किए गए प्रतिभूति हित वसूल करने के लिए परिसमापक की अनुज्ञा की तारीख	
29	हितधारकों की उपांतरित सूची और उसे ए.ए. को प्रस्तुत करने की तारीख	
30	प्रथम वसूली की तारीख	
31	दूसरी वसूली की तारीख	
32	प्रथम वितरण की तारीख	
33	दूसरे वितरण की तारीख	
34	तिमाही प्रगति रिपोर्ट (वि.वर्ष-1) प्रस्तुत करने की तारीख	
35	ए.ए. को आस्ति विक्रय रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	
36	तिमाही प्रगति रिपोर्ट-II प्रस्तुत करने की तारीख	
37	तिमाही प्रगति रिपोर्ट-III प्रस्तुत करने की तारीख	
38	तिमाही प्रगति रिपोर्ट-IV और लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	

39	तिमाही प्रगति रिपोर्ट-I प्रस्तुत करने की तारीख(वि.वर्ष 2)	
40	तिमाही प्रगति रिपोर्ट-II प्रस्तुत करने की तारीख	
41	तिमाही प्रगति रिपोर्ट-III प्रस्तुत करने की तारीख	
42	तिमाही प्रगति रिपोर्ट-IV और लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	
43	यथा-लागू कानूनी प्राधिकारी को सूचना देने की तारीख (क) भविष्य निधि (ख) कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) (ग) आयकर विभाग (घ) कारखाना निरीक्षक (ङ) जी.एस.टी./वैट (च) अन्य	
44	विनियम 46(1) के अनुसार ए.ए. को आवेदन करने की तारीख	
45	समापन की अवितरित/अदावाकृत आस्तियों या आगमों का भारतीय लोक लेखा में अंतरण करने की तारीख	
46	विनियम 46(3) के अनुसार सूचना की तारीख	
47	ए.ए. को अंतिम रिपोर्ट करने की तारीख (विघटन आवेदन से पूर्व)	

3. आस्ति ज्ञापन और अंतिम विक्रय रिपोर्ट के अनुसार आस्तियों का विवरण निम्न प्रकार है:

क्रम सं.	आस्तियां	विक्रय का ढंग	प्राक्कलित मूल्य	समापन	वसूल की गई रकम	समापन खाते में अंतरण करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	

4. (क) समापन संपदा का समापन मूल्य:

(ख) समापन संपदा के विक्रय से वसूल की गई रकम:

(ग) संहिता की धारा 52 या धारा 53 के अनुसार हितधारकों को वितरित की गई रकमें निम्न प्रकार हैं:

(लाख रूपयों में रकम)

क्रम सं.	धारा 53(1) के अधीन हितधारक*	दावाकृत रकम	स्वीकृत रकम	वितरित रकम	दावाकृत रकम के मुकाबले वितरित रकम(%)	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	(क):सी.आई.आर.पी. लागत					
2	(क):समापन लागत					
3	(ख)(i)					

4	(ख)(ii)					
5	(ग)					
6	(घ)					
7	(ङ)(i)					
8	(ङ)(ii)					
9	(च)					
10	(छ)					
11	(ज)					
योग						

*यदि किसी प्रवर्ग में कोई उप-प्रवर्ग हैं तो कृपया प्रत्येक उप-प्रवर्ग के लिए पंक्ति जोड़े।

5. समापन प्रक्रिया का संचालन विनियम 47 में उपदर्शित समय-सीमा के अनुसार निम्न प्रकार किया गया है:

संहिता की धारा/विनियम सं.	कार्य का वर्णन	विनियम 47 के अनुसार समय-सीमा	वास्तविक समय-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)
धारा 33	एल.सी.डी. का प्रारंभ और परिसमापक की नियुक्ति	टी	टी

6. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के उपबंधों, उसके अधीन बनाए गए विनियमों या जारी किए गए परिपत्रों के विचलन/अननुपालन निम्नलिखित हैं (यदि कोई विचलन/अननुपालन पाया गया था तो कृपया उसके ब्यौरे और कारणों का कथन करें):

क्रम सं.	पाया गया विचलन/ अननुपालन	संहिता की धारा/ विनियम सं./परिपत्र सं.	कारण	क्या सुधार किया गया है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				

7. विघटन आवेदन [एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व]/ [एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात्] फाइल किया गया है। कृपया मांगे गए किसी विस्तार का ब्यौरा दें और यदि मंजूर किया गया है तो उसका कारण दें।

8. संब्यवहारों के परिवर्जन की बाबत फाइल किए गए/लंबित आवेदन(आवेदनों) के ब्यौरे:

क्रम सं.	संव्यवहार का प्रकार	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष फाइल करने की तारीख	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश की तारीख	आदेश का सार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	धारा 43 के अधीन अधिमानी संव्यवहार			
2	धारा 45 के अधीन न्यून-मूल्यांकित संव्यवहार			
3	धारा 50 के अधीन उद्दापक प्रत्यय संव्यवहार			
4	धारा 66 के अधीन कपटपूर्ण संव्यवहार			

9. कारपोरेट ऋणी से संबंधित किसी न्यायालय या अधिकरण के संबंध अनुन्मोचित या लंबित मामले, यदि कोई हैं, के बारे में ए.ए. को रिपोर्ट कर दिया गया है।

10. मैं (परिसमापक का नाम) प्रमाणित करता हूँ कि इस प्रमाणपत्र की अंतर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और ठीक हैं और उसमें से कोई भी तात्विक बात छिपाई नहीं गई है।

(हस्ताक्षर)

परिसमापक का नाम

आई.पी. रजिस्ट्रीकरण सं.

बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत पता

बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत ईमेल आई.डी.

तारीख:

स्थान:”।

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./154/19]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 460, तारीख 15 दिसम्बर, 2016 में, अधिसूचना सं. आईबीबीआई/2016-17/जीएन/आरईजी005, तारीख 15 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें तत्पश्चात् –

(1) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 122, तारीख 28 मार्च, 2018 में, अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.028, तारीख 27 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2018; और

(2) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 393, तारीख 22 अक्टूबर, 2018 में, अधिसूचना सं.आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.037, तारीख 22 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018

द्वारा संशोधन किए गए हैं।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2019

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2019

No. IBBI/2019-20/GN/REG047.- In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 2, in sub-regulation (1)-

(i) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely: -

‘(ba) “consultation committee” means the stakeholders’ consultation committee constituted under sub-regulation (1) of regulation 31A;’;

(ii) for clause (ea), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(ea) “liquidation cost” under clause (16) of section 5 means-

(i) fee payable to the liquidator under regulation 4;

(ii) remuneration payable by the liquidator under sub-regulation (1) of regulation 7;

(iii) costs incurred by the liquidator under sub-regulation (2) of regulation 24;

(iv) costs incurred by the liquidator for preserving and protecting the assets, properties, effects and actionable claims, including secured assets, of the corporate debtor;

(v) costs incurred by the liquidator in carrying on the business of the corporate debtor as a going concern;

(vi) interest on interim finance for a period of twelve months or for the period from the liquidation commencement date till repayment of interim finance, whichever is lower;

(vii) the amount repayable to contributories under sub-regulation (3) of regulation 2A;

(viii) any other cost incurred by the liquidator which is essential for completing the liquidation process:

Provided that the cost, if any, incurred by the liquidator in relation to compromise or arrangement under section 230 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), if any, shall not form part of liquidation cost.’.

3. In the principal regulations, after regulation 2, the following regulations shall be inserted, namely: -

“2A. Contributions to liquidation costs.

(1) Where the committee of creditors did not approve a plan under sub-regulations (3) of regulation 39B of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, the liquidator shall call upon the financial creditors, being financial institutions, to contribute the excess of the liquidation costs over the liquid assets of the corporate debtor, as estimated by him, in proportion to the financial debts owed to them by the corporate debtor.

Illustration

Assume that the excess of liquidation costs over liquid assets is Rs.10, as estimated by the liquidator. Financial creditors will be called upon to contribute, as under:

Sl. No.	Financial creditors	Amount of debt due to financial creditors (Rs.)	Amount to be contributed towards liquidation cost (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Financial institution A	40	04

2	Financial institution B	60	06
3	Non-financial institution A	50	00
4	Non-financial institution B	50	00
Total		200	10

(2) The contributions made under the plan approved under sub-regulation (3) of regulation 39B of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 or contributions made under sub-regulation (1), as the case may be, shall be deposited in a designated escrow account to be opened and maintained in a scheduled bank, within seven days of the passing of the liquidation order.

(3) The amount contributed under sub-regulation (2) shall be repayable with interest at bank rate referred to in section 49 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) as part of liquidation cost.

2B. Compromise or arrangement.

(1) Where a compromise or arrangement is proposed under section 230 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), it shall be completed within ninety days of the order of liquidation under sub-sections (1) and (4) of section 33.

(2) The time taken on compromise or arrangement, not exceeding ninety days, shall not be included in the liquidation period.

(3) Any cost incurred by the liquidator in relation to compromise or arrangement shall be borne by the corporate debtor, where such compromise or arrangement is sanctioned by the Tribunal under sub-section (6) of section 230:

Provided that such cost shall be borne by the parties who proposed compromise or arrangement, where such compromise or arrangement is not sanctioned by the Tribunal under sub-section (6) of section 230.”.

4. In the principal regulations, for regulation 4, the following regulation shall be substituted, namely: -

“4. Liquidator’s fee.

(1) The fee payable to the liquidator shall be in accordance with the decision taken by the committee of creditors under regulation 39D of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016.

(2) In cases other than those covered under sub-regulation (1), the liquidator shall be entitled to a fee-

(a) at the same rate as the resolution professional was entitled to during the corporate insolvency resolution process, for the period of compromise or arrangement under section 230 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013); and

(b) as a percentage of the amount realised net of other liquidation costs, and of the amount distributed, for the balance period of liquidation, as under:

Amount of Realisation / Distribution (In rupees)	Percentage of fee on the amount realised / distributed		
	in the first six months	in the next six months	thereafter
Amount of Realisation (exclusive of liquidation costs)			
On the first 1 crore	5.00	3.75	1.88
On the next 9 crore	3.75	2.80	1.41
On the next 40 crore	2.50	1.88	0.94
On the next 50 crore	1.25	0.94	0.51
On further sums realized	0.25	0.19	0.10
Amount Distributed to Stakeholders			
On the first 1 crore	2.50	1.88	0.94
On the next 9 crore	1.88	1.40	0.71

On the next 40 crore	1.25	0.94	0.47
On the next 50 crore	0.63	0.48	0.25
On further sums distributed	0.13	0.10	0.05

(3) Where the fee is payable under clause (b) of sub-regulation (2), the liquidator shall be entitled to receive half of the fee payable on realisation only after such realised amount is distributed.

Clarification: Regulation 4 of these regulations, as it stood before the commencement of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2019 shall continue to be applicable in relation to the liquidation processes already commenced before the coming into force of the said amendment Regulations.”.

5. In the principal regulations, in regulation 12, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(2) The public announcement shall-

- (a) call upon stakeholders to submit their claims or update their claims submitted during the corporate insolvency resolution process, as on the liquidation commencement date; and
- (b) provide the last date for submission or update of claims, which shall be thirty days from the liquidation commencement date.”.

6. In the principal regulations, for regulation 16, the following regulation shall be substituted, namely: -

“16. Submission of claim.

- (1) A person, who claims to be a stakeholder, shall submit its claim, or update its claim submitted during the corporate insolvency resolution process, including interest, if any, on or before the last date mentioned in the public announcement.
- (2) A person shall prove its claim for debt or dues to him, including interest, if any, as on the liquidation commencement date.”.

7. In the principal regulations, after regulation 21, the following regulation shall be inserted, namely: -

“21A. Presumption of security interest.

- (1) A secured creditor shall inform the liquidator of its decision to relinquish its security interest to the liquidation estate or realise its security interest, as the case may be, in Form C or Form D of Schedule II:

Provided that, where a secured creditor does not intimate its decision within thirty days from the liquidation commencement date, the assets covered under the security interest shall be presumed to be part of the liquidation estate.

- (2) Where a secured creditor proceeds to realise its security interest, it shall pay as much towards the amount payable under clause (a) and sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of section 53, as it would have shared in case it had relinquished the security interest.”.

8. In the principal regulations, after regulation 31, the following regulation shall be inserted, namely: -

“31A. Stakeholders’ consultation committee.

- (1) The liquidator shall constitute a consultation committee within sixty days from the liquidation commencement date, based on the list of stakeholders prepared under regulation 31, to advise him on the matters relating to sale under regulation 32.

(2) The composition of the consultation committee under sub-regulation (1) shall be as shown in the Table below:

Table

Class of Stakeholders	Description	Number of Representatives
(1)	(2)	(3)
Secured financial creditors, who have relinquished their security interests under section 52	Where claims of such creditors admitted during the liquidation process is less than 50% of liquidation value	Number of creditors in the category, subject to a maximum of 2
	Where claims of such creditors admitted during the liquidation process is at least 50% of liquidation	Number of creditors in the category, subject to a maximum

	value	of 4
Unsecured financial creditors	Where claims of such creditors admitted during the liquidation process is less than 25% of liquidation value	Number of creditors in the category, subject to a maximum of 1
	Where claims of such creditors admitted during the liquidation process is at least 25% of liquidation value	Number of creditors in the category, subject to a maximum of 2
Workmen and employees	1	1
Governments	1	1
Operational creditors other than Workmen, employees and Governments	Where claims of such creditors admitted during the liquidation process is less than 25% of liquidation value	Number of creditors in the category, subject to a maximum of 1
	Where claims of such creditors admitted during the liquidation process is at least 25% of liquidation value	Number of creditors in the category, subject to a maximum of 2
Shareholders or partners, if any		1

(3) The liquidator may facilitate the stakeholders of each class to nominate their representatives for inclusion in the consultation committee.

(4) If the stakeholders of any class fail to nominate their representatives, the required number of stakeholders with the highest claim amount in that class shall be included in the consultation committee.

(5) Subject to the provisions of the Code and these regulations, representatives in the consultation committee shall have access to all relevant records and information as may be required to provide advice to the liquidator under sub-regulation (1).

(6) The liquidator shall convene a meeting of the consultation committee when he considers it necessary and shall convene a meeting of the consultation committee when a request is received from at least fifty-one percent of representatives in the consultation committee.

(7) The liquidator shall chair the meetings of consultation committee and record deliberations of the meeting.

(8) The liquidator shall place the recommendation of committee of creditors made under sub-regulation (1) of regulation 39C of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, before the consultation committee for its information.

(9) The consultation committee shall advise the liquidator, by a vote of not less than sixty-six percent of the representatives of the consultation committee, present and voting.

(10) The advice of the consultation committee shall not be binding on the liquidator:

Provided that where the liquidator takes a decision different from the advice given by the consultation committee, he shall record the reasons for the same in writing.”.

9. In principal regulations, after regulation 32, the following regulation shall be inserted, namely:-

“32A. Sale as a going concern.

(1) Where the committee of creditors has recommended sale under clause (e) or (f) of regulation 32 or where the liquidator is of the opinion that sale under clause (e) or (f) of regulation 32 shall maximise the value of the corporate debtor, he shall endeavour to first sell under the said clauses.

(2) For the purpose of sale under sub-regulation (1), the group of assets and liabilities of the corporate debtor, as identified by the committee of creditors under sub-regulation (2) of regulation 39C of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 shall be sold as a going concern.

(3) Where the committee of creditors has not identified the assets and liabilities under sub-regulation (2) of regulation 39C of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, the liquidator shall identify and group the assets and liabilities to be sold as a going concern, in consultation with the consultation committee.

(4) If the liquidator is unable to sell the corporate debtor or its business under clause (e) or (f) of regulation 32 within ninety days from the liquidation commencement date, he shall proceed to sell the assets of the corporate debtor under clauses (a) to (d) of regulation 32.”

10. In the principal regulations, in regulation 35, in sub-regulation (2), for “In cases not covered under sub-regulation (1), the liquidator shall within seven days”, the following shall be substituted, namely: -

“In cases not covered under sub-regulation (1) or where the liquidator is of the opinion that fresh valuation is required under the circumstances, he shall within seven days”.

11. In the principal regulations, in regulation 42, in sub-regulation (2), for the words “six months”, the words “ninety days” shall be substituted.

12. In the principal regulations, in regulation 44,-

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(1) The liquidator shall liquidate the corporate debtor within a period of one year from the liquidation commencement date, notwithstanding pendency of any application for avoidance of transactions under Chapter III of Part II of the Code, before the Adjudicating Authority or any action thereof:

Provided that where the sale is attempted under sub-regulation (1) of regulation 32A, the liquidation process may take an additional period up to ninety days.”;

(ii) in sub-regulation (2), for the words “two years”, the words “one year” shall be substituted.

13. In the principal regulations, in regulation 45, for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(3) The liquidator shall submit an application along with the final report and the compliance certificate in form H to the Adjudicating Authority for -

- (a) closure of the liquidation process of the corporate debtor where the corporate debtor is sold as a going concern; or
- (b) for the dissolution of the corporate debtor, in cases not covered under clause (a).”.

14. In the principal regulations, after regulation 46, the following regulation shall be inserted, namely: -

“47. Model time-line for liquidation process.

The following Table presents a model timeline of liquidation process of a corporate debtor from the liquidation commencement date, assuming that the process does not include compromise or arrangement under section 230 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or sale under regulation 32A:

Model Timeline for Liquidation Process

Sl. No.	Section / Regulation	Description of Task	Norm	Latest Timeline (Days)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Section 33 and 34	Commencement of liquidation and appointment of liquidator	LCD	0 = T
2	Section 33 (1) (b) (ii) / Reg. 12 (1, 2, 3)	Public announcement in Form B	Within 5 days of appointment of liquidator.	T + 5
3	Reg. 35 (2)	Appointment of registered valuers	Within 7 days of LCD	T + 7
4	Section 38 (1) and (5), Reg. 17, 18	Submission of claims;	Within 30 days of LCD	T + 30

	and 21A	Intimation of decision on relinquishment of security interest		
5	Section 38 (5)	Withdrawal/ modification of claim	Within 14 days of submission of claim	T + 44
6	Reg. 30	Verification of claims received under regulation 12(2)(b)	Within 30 days from the last date for receipt of claims	T + 60
7	Reg. 31A	Constitution of SCC	Within 60 days of LCD	T + 60
8	Section 40 (2)	Intimation about decision of acceptance/ rejection of claim	Within 7 days of admission or rejection of claim	T + 67
9	Reg. 31 (2)	Filing the list of stakeholders and announcement to public	Within 45 days from the last date of receipt of claims	T + 75
10	Section 42	Appeal by a creditor against the decision of the liquidator	Within 14 days of receipt of such decision	T + 81
11	Reg. 13	Preliminary report to the AA	Within 75 days of LCD	T + 75
12	Reg. 34	Asset memorandum	Within 75 days of LCD	T + 75
13	Reg. 15 (1), (2), (3), (4) and (5), and 36	Submission of progress reports to AA; Asset Sale report to be enclosed with every Progress Report, if sales are made	First progress report	Q1 + 15
			Q-2	Q2 + 15
			Q-3	Q3 + 15
			Q-4	Q4 + 15
			FY: 1 Audited accounts of liquidator's receipt & payments for the financial year	15 th April
14	Proviso to Reg. 15 (1)	Progress report in case of cessation of liquidator	Within 15 days of cessation as liquidator	Date of cessation + 15
15	Reg. 37 (2, 3)	Information to secured creditors	Within 21 days of receipt of intimation from secured creditor	Date of intimation + 21
16	Reg. 42 (2)	Distribution of the proceeds to the stakeholders	Within 3 months from the receipt of amount	Date of Realisation + 90
17	Reg.10 (1)	Application to AA for Disclaimer of onerous property	Within 6 months from the LCD	T + 6 months
18	Reg.10 (3)	Notice to persons interested in the onerous property or contract	At least 7 days before making an application to AA for disclosure.	
19	Reg. 44	Liquidation of corporate debtor.	Within one year	T + 365
20	Reg. 46	Apply to AA for order on unclaimed proceeds of liquidation or undistributed assets.	Before dissolution order	
21	Sch-1 Sl. No 12	Time period to H1 bidder to provide balance sale consideration	Within 90 days of the date of invitation to provide the balance amount.	

[AA: Adjudicating Authority, LCD: Liquidation Commencement Date, SCC: Stakeholders' Consultation Committee]"

15. In the principal regulations, in Schedule I,-

(i) in Paragraph 1, for clause (4), the following shall be substituted, namely: -

“(4) The reserve price shall be the value of the asset arrived at in accordance with regulation 35.

(4A) Where an auction fails at the reserve price, the liquidator may reduce the reserve price by up to twenty-five percent of such value to conduct subsequent auction.

(4B) Where an auction fails at reduced price under clause (4A), the reserve price in subsequent auctions may be further reduced by not more than ten percent at a time.”;

(ii) for paragraph 12, the following paragraphs shall be substituted, namely: -

“(12) On the close of the auction, the highest bidder shall be invited to provide balance sale consideration within ninety days of the date of such demand:

Provided that payments made after thirty days shall attract interest at the rate of 12%:

Provided further that the sale shall be cancelled if the payment is not received within ninety days.

(13) On payment of the full amount, the sale shall stand completed, the liquidator shall execute certificate of sale or sale deed to transfer such assets and the assets shall be delivered to him in the manner specified in the terms of sale.”.

16. In the principal regulations, in Schedule II,-

(i) in Form B, for “[insert the date falling thirty days after the liquidation commencement date]”, the following shall be substituted, namely: -

“[insert the date falling thirty days from the liquidation commencement date]”;

(ii) in Form C, in the table, after serial number 8, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“8A.	WHETHER SECURITY INTEREST RELINQUISHED	Yes/ No”;
------	--	-----------

(iii) in Form D, in the table, after serial number 8, the following serial number and entries shall be inserted, namely:

-

“8A.	WHETHER SECURITY INTEREST RELINQUISHED	Yes/ No”;
------	--	-----------

(iv) after Form G, the following Form shall be inserted, namely: -

**“FORM H
COMPLIANCE CERTIFICATE**

[Under Regulation 45(3) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016]

I, [Name of the Liquidator], an insolvency professional enrolled with [name of insolvency professional agency] and registered with the Board with registration number [registration number], am the Liquidator for the Liquidation Process of [name of the corporate debtor (CD)].

2. The details of the Liquidation Process are as under:

Sl. No.	Particulars	Description
(1)	(2)	(3)
1	Name of the corporate debtor	
2	Case No. & NCLT Bench	
3	Date of initiation of liquidation	
4	Date of appointment of liquidator	
5	Date of commencement of CIRP	
6	Name of RP during CIRP and his registration No. as IP	
7	Name of Liquidator and his registration No. as IP	
8	Date of Publication of Public Announcement under Form B	
9	Date of Intimation to Registry and Information Utility, if any, about commencement of Liquidation	
10	Date of handover of charge by RP	
11	Date of submission of compliance, if any, directed by AA in the liquidation order and its particulars	

12	Date of appointment of registered valuers, if any	
13	Date of notice for uncalled capital/unpaid capital contribution	
14	Date of realisation of uncalled capital/unpaid capital contribution	
15	Date of opening of liquidation account with Bank A/c details	
16	Date of constitution of Consultation Committee	
17	No. of meetings of consultation committee held	
18	Date of submission of list of stakeholders to AA	
19	Date of public announcement of list of stakeholders	
20	Date of filing of preliminary report & assets memorandum to AA	
21	Fair value	
22	Liquidation value	
23	Date of public announcement for auction (please add additional rows, if required)	
24	Date of order of AA to dispense with the public announcement for Auction	
25	Date of permission of AA for physical Auction	
26	Date of permission of AA for private sale	
27	Date of permission of AA for distribution of unsold assets to stakeholders	
28	Date of permission of the liquidator to realise the un-relinquished security interest by the secured creditor	
29	Modified list of stakeholders and date of submission to AA	
30	Date of first realisation	
31	Date of second realisation	
32	Date of first distribution	
33	Date of second distribution	
34	Date of submission of Quarterly Progress Report-I (FY-1)	
35	Date of submission of Asset Sales Report to AA	
36	Date of submission of Quarterly Progress Report-II	
37	Date of submission of Quarterly Progress Report-III	
38	Date of submission of Quarterly Progress Report-IV & Audit Report	
39	Date of submission of Quarterly Progress Report-I (FY-2)	
40	Date of submission of Quarterly Progress Report-II	
41	Date of submission of Quarterly Progress Report-III	
42	Date of submission of Quarterly Progress Report-IV & Audit Report	
43	Date of intimation to statutory authority as applicable. a) PF b) ESI c) Income Tax Dept d) Inspector of Factory e) GST/VAT f) Others	
44	Date of application to AA as per Reg 46(1)	
45	Date of transfer of undistributed/unclaimed assets or proceeds of liquidation to public Account of India	
46	Date of intimation as per Reg 46(3)	
47	Date of Final Report to AA (prior to dissolution application)	

3. The details of the assets as per Asset Memorandum and Final Sale Report are as under:

Sl. No.	Assets	Mode of Sale	Estimated Liquidation Value	Realisation Amount (Rs.)	Date of Transfer to Liquidation Account
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

4. (a) Liquidation value of the liquidation estate:

(b) Amount realised from sale of liquidation estate:

(c) The amounts distributed to stakeholders as per section 52 or 53 of Code are as under:

(Amount in Rs. lakh)

Sl. No.	Stakeholders* under section 53 (1)	Amount Claimed	Amount Admitted	Amount Distributed	Amount Distributed to the Amount Claimed (%)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	(a): CIRP Costs					
2	(a): Liquidation Costs					
3	(b)(i)					
4	(b)(ii)					
5	(c)					
6	(d)					
7	(e)(i)					
8	(e) (ii)					
9	(f)					
10	(g)					
11	(h)					
Total						

*If there are sub-categories in a category, please add rows for each sub-category.

5. The Liquidation Process has been conducted as per the timeline indicated in regulation 47 as under:

Section of the Code / Regulation No.	Description of Task	Timeline as per regulation 47	Actual Timeline
(1)	(2)	(3)	(4)
Section 33	Commencement of LCD and Appointment of Liquidator	T	T

6. The following are deviations /non-compliances with the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, regulations made, or circulars issued there under (If any deviation/ non-compliances were observed, please state the details and reasons for the same):

Sl. No.	Deviation/Non-compliance observed	Section of the Code / Regulation No. / Circular No.	Reasons	Whether rectified or not
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				

7. The dissolution application has been filed [before expiry of the period of one year] / [after expiry of one year]. Please state details of any extension sought with the reason and granted:

8. The details of application(s) filed / pending in respect of avoidance of transactions.

Sl. No.	Type of Transaction	Date of Filing with Adjudicating Authority	Date of Order of the Adjudicating Authority	Brief of the Order
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Preferential transactions under section 43			
2	Undervalued transactions under section 45			
3	Extortionate credit transactions under section 50			
4	Fraudulent transactions under section 66			

9. All undischarged or matters pending before any Court or Tribunal relating to corporate debtor, if any, have been reported to AA.

10. I (Name of Liquidator), hereby certify that the contents of this certificate are true and correct to the best of my

knowledge and belief, and nothing material has been concealed there from.

(Signature)

Name of the Liquidator:

IP Registration No:

Address as registered with the Board:

Email id as registered with the Board:

Date:

Place:”.

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson
[ADVT.-III/4/Exty./154/19]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG005 dated 15th December, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 460 on 15th December, 2016 and were subsequently amended by –

(1) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2018 published *vide* notification No. IBBI/2017-18/GN/REG028, dated 27th March, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 122 on 28th March, 2018; and

(2) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Second Amendment) Regulations, 2018 published *vide* notification No. IBBI/2018-19/GN/REG037, dated 22nd October, 2018 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 393 on 22nd October, 2018.